प्रैस विज्ञप्ति

जिला शिमला में शास्त्री अध्यापक वर्ग के बैच वाईज/सत्रानुसार अनुबन्ध आधार पर 69 पद भरे जाने है जिसके लिए कौउसलिंग निम्नलिखित विधियों को अधाहरताक्षरी के कार्यालय में आयोजित की जा रही हैं:—

क्र0 स0	रोजगार/उपरोजगार कार्यालय का नाम	कौउसलिंग की तिथि
1	शिमला,मशोबरा ठियोग,व सून्नी व के अर्न्तगत आने वाले अभ्यार्थियों हेतु	11/02/2021
2	रामपुर,रोहडू,चौपाल,कुमारसैन,जुब्बल,कुपवी,चिड़गाव,डोडरा क्वार के अर्न्तगत आने वाले अभ्यार्थियों हेत	12/02/2021

क्रमांक	श्रेणी	सत्र (Batch)
1	सामान्य वर्ग	2004 तक
2	अनुसूचित जाति,	2010 तक
3	अनुसूचित जाति (आई.आर.डी.पी)	2008 तक
4	अन्य पिछडा वर्ग	2019 तक
5	अन्य पिछडा वर्ग, (आई.आर.डी.पी)	2019 तक
6	अनुसूचित जनजाति (आई.आर.डी.पी)	2019 तक
7	अनुसूचित जनजाति	2019 तक
8	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	2006 तक
9	स्वतत्रता सैनानियो के आश्रित (WFF)	2019 तक

इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों के माध्यम से यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त कौउसलिंग में वही अभ्यर्थी उपस्थित हो जिनका श्रेणी वाईज बैच/सत्र का वर्ष उपरोक्त हो तथा उक्त कौउसलिंग में भर्ती एवं पदोन्नित नियम के अनुसार शैक्षणिक एवं व्यवसायिक प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यार्थी निम्न प्रमाण पत्र भी साथ लाए।

- i. Belonging to notified Backward Area or Panchyat, as the case may be.
- ii. Land less family/ family having land less that 01 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.
- iii. Non Employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/ Semi Government.
- iv. Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity.
- v. NSS (Atleast one year) certificate holders in NCC/ The Bharat Scout and guide Medal winner in National level sports competitions.
- vi. BPL Family having family annual income (from all sources) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time. (BPL certified must be countersigned by the B.D.O. concerned)
- vii. Widow/divorced/destitute/single women.
- viii. Single daughter /orphan.
- ix. Training of at least 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/ Institution / School.
- x. Experience upto a maximum of 5 years in Govt. Organization relating to the post applied for (0.5) mark only for each completed year)
- xi. The name of candidates should be sponsored through employment exchange.
- xii. Himachali Bonafied certificate and character certificate.
- xiii. Category Certificate i.e. SC/ST OBC/IRDP.
- ivx. Certificate of EWS duly issued by the competent authority. The candidate belonging to BPL family is required to produce BPL certificate duly issued/countersigned by the B.D.O.concerned alongwith the certificate of Non SC/OBC/ST category issued by the competent authority to get the benefit of EWS.

कौउसलिंग के समय अभ्यर्थी को कार्यालय में एक फार्म अवश्य भरकर देना होगा, तथा एक पास पोर्ट साईज फोटो भी साथ लाये। यदि प्रार्थी कौउसलिंग से सम्बन्धित कोई भी जानकारी लेना चाहता है तो कार्यालय के दूरभाष संख्या 0177—2651554 व 0177—2658854 पर सम्पर्क कर सकते है। ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिनका नाम रोजगार कार्यालय द्वारा छूट गया हो सम्बन्धित सभ्यर्थी उपरोक्त तिथियों को प्रातः 11:00 बजे इस कार्यालय में उपस्थित हो सकते है। समस्त अभ्यर्थी कौउसलिंग के दौरान कोविड—19 बारे जारी दिशा—निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंग्रे।

पृष्ठांकन संख्याः शिक्षा–शिमला(प्रा०)(1-3)वी–1/2020–(शास्त्री)– 135 42-52 प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

निदेशक, आकाशवाणी शिमला स्थित चौडा मैदान171004 को प्रैस विज्ञप्ति की प्रति इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि जन साधारण की जानकारी हेतु अपने रोजगार समाचार के माध्यम से कम से कम 2 या 3 वार उदधोषित करने की कृपा करें।

2. सम्पादक अमर उजाला, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, दिव्य हिमाचल, दैनिक जागरण, हिमाचल दस्तक, आपका फैसला, दैनिक ट्रिब्यून, जनसता, अजित समाचार को प्रकाशन हेत् प्रेषित है।

3. रक्षक नस्ति।

उप निदेशक प्रा० शिक्षा शिमला जिला शिमला

3 जनवरी,2021

अप निर्देशक प्राठ शिक्षा शिमला जिला शिमला